


142 142

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R-2388-II/12

श्रीमती अनसुइया देवी पत्नी राजकुमार ब्रा0  
18-7-12  
श्रीमती अनसुइया देवी पत्नी राजकुमार ब्रा0  
सर्किल सीतापुर, जिला रीवा (म0प्र0)



श्रीमती अनसुइया देवी पत्नी राजकुमार ब्रा0, निवासी ग्राम तमरी ठाकुर, सर्किल सीतापुर, जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानीकर्ता

बनाम

गैरनिगराकार

शासन म0प्र0

निगरनी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय रीवा, जिल रीवा के प्रकरण क0-227-अ-12/10-11 आदेश दिनांक 19/06/2012 विरुद्ध निगरानी

क  
25-7-12

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :-

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रभारी सर्किल सीतापुर के यहां ग्राम तमरी ठाकुर की भूमि खसरा क0-9/1 रकवा 0.85 हे0, 10/2 रकवा 0.178 हे0, 30/2 रकव 0.02 हे0, 40/2 रकवा 0.141 हे0, 34/1ख रकवा 0.230 हे0, 40/2 रकवा 0.356 हे0, 107/92 रकवा 0.109 हे0, 10/2 रकवा 0.057 हे0, 34, 34 का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र माननीय तहसीलदार प्रभारी सीतापुर के यहां प्रस्तुत किया गया था जिसमें सीमांकन किया गया । सीमांकन के समय सरहद्दी काश्तकारों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई । सीमांकन आदेश पारित किया गया जिसमें निगरानीकर्ता की भूमि का सीमांकन किया गया जो मौके पर नक्शा तरमीम, पटवारी प्रतिवेदन एवं आर0आई0 प्रतिवेदन के अनुसार किया गया जो कि आर0आई0 एवं पटवारी मौके पर न जाकर नक्शा तरमीम किये जिससे निगरानीकर्ता की भूमि का नक्शा तरमीम सही नहीं हो पाया जबकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि क0-34/1 रकवा 0.57


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2388-II/12

जिला-रीवा

श्रीमती अनसुइया देवी/शासन म०प्र०

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	